न्यायालय अंचल अधिकारी, देवरी

केश सख्या – 01/2020-21 राज्य
केश का प्रकार :– विविधवाद बनाम
मो० रूस्तम अंसारी

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश तथा पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपण्णी तारीख सहित
26.6.2020	मो0 रूसतम अंसारी पिता रोजो मियाँ ग्राम – मकडीहा थाना – देवरी जिला– गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर मौजा मकडीहा थाना न0 – 497 खाता न0 – 11,35,58 प्लॉट न0– 1321,530,2889 एवं अन्य रकवा 1.24 1/6 जमीन ऑनलाईन पंजी II में नाम/खाता /प्लॉट/रकवा/रसीद चढ़ाने का अनुरोध किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें वर्णित है कि निर्गत शुद्धि पत्र कार्यालय अभिलेख तथा पंजी II के अनुसार सही नही है। अतः अपना पक्ष रखने हेतु आवेदनकर्ता से मूल कागजात की मांग करें। नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 9.7.2020 को रखें। (हस्ताक्षर) 26.6.2020 अचंल धिकारी, देवरी।	
9.7.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित। ऑनलाईन प्लॉट इन्ट्री के लिए प्राप्त आवेदन पर राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Online में दर्ज भूमि का पंजी II में इन्ट्री नहीं है। जबकि आवेदक ने दावा किया कि Online पंजी II में दर्ज भूमि का ~~पंजी II में इन्ट्री नहीं है~~ विधिवत दाखिल-खारिज हुआ है। आवेदक द्वारा शुद्धि पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया। कार्यालय सहायक को निदेश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये शुद्धिपत्र में दर्ज नामांतरणवाद मूलरुप में दिनांक 16.07.2020 को प्रस्तुत करें। अभिलेख 16.07.2020 को रखें। (हस्ताक्षर) 9.7.2020	
16.7.2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित। कार्यालय सहायक द्वारा नामांतरणवाद की प्रति उपस्थापित नहीं कराया गया। इसी बीच नाहिर अंसारी ने आवेदन	

गये आवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए दावा किया गया कि आवेदित भूमि गलत तरीके से बेची गयी है जिसका Title Suit सं० 254/2016-न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुनः कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि नामांतरणवाद की मूल प्रति प्रस्तुत करें।

अभिलेख 30.7.2020 को रखें।

16.7.2020
अ.अ.

30.7.2020 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 20.08.2020 को रखें।

30.7.2020

20.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित। कार्यवाहक सहायक द्वारा नामांतरणवाद अभिलेख प्रस्तुत किया गया। आदेश पर रखें।

20.8.2020
अ.अ.

आदेश

मो० रूस्तम अंसारी पिता-येलो मियाँ ग्राम-मकडीहा मे थाना नं० 497 खाता सं० 11, 35, 58, प्लॉट नं० 1321, 530, 2889 आदि रकबा 1.24 एकड़ भूमि में Online सुधार के लिए आवेदन दिया है। राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पंजी II में दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा शुद्धि पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए दावा किया गया कि प्रश्नगत भूमि का विधिवत

दाखिल - खारिज अंचल कार्यालय से किया गया है।
कार्यपालक सहायक द्वारा नामांतरणवाद 679/15-16 की
मूल प्रति उपस्थापित किया गया। नामांतरणवाद के अवलोकन
से पाया गया कि प्रश्नगत भूमि की विधिवत दाखिल-
खारिज करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत किया गया है तथा
Online पंजी II में इन्ट्री है एवं 2019-20 तक लगान रसीद
निर्गत है।

मो० ताहिर अंसारी द्वारा शहिदन खातुन का आवेदन
का अवलोकन किया। शहीदन खातुन ने फरवरी 2020
में आवेदन देकर दावा किया था कि मो० रूस्तम
अंसारी के द्वारा फर्जी केवाला लिखवाया है, जिसकी
दाखिल - खारिज रोका जाए। परंतु प्रश्नगत भूमि की
दाखिल खारिज वर्ष 2015-16 में हो चुका है तथा
Online पंजी II में पूर्व से दर्ज है एवं लगान रसीद
निर्गत हो रहा है।

राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक
नामांतरणवाद सं० 679/2015-16 के आधार पर
निर्गत शुद्धि पत्र के अनुसार ऑनलाईन की तकनीकी
त्रुटि / प्लॉट अपडेशन कर सकते हैं।

अत: वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की
जाती है।

(हस्ताक्षर)
21.08.2020
अंचल अधिकारी
देवघ-1